संख्या– /xvi/07/7(38)/07

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई,2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदान द्वारा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन के लिये प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–255/XXVII (1)/ 2007,दिनांक–26 मार्च 2007 के क्रम में आपके पत्रांक–10/1–1 (102)/2007–08 दिनांक–04 अप्रैल 2007 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदान द्वारा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन के लिए प्राविधानित रूपये–2642.00 हजार (रूपये छब्बीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन/आवंटन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–255/XXVII (1)/2007, दिनांक–26 मार्च 2007 में दिये गये दिशा–निर्देशों,शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों /निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

...2/

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।

11– जिला सैक्टर में जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का जिलेवार आवंटन जनपदों मे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाय। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाय, जिससे कार्यक्रम कियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदानान्तर्गत अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–121(पी)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/2007, दिनांक–25/07/2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

संख्या–386/xvi/07/7(38)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–386/XVI/07/7(38)/07, दिनांक– 27 जुलाई, 2007 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2007–08 में लेखानुदानान्तर्गत अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष की योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरणः–

(धनराशि हजार रूपयें में)

क0 सं0	योजना/मद का नाम	लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान सं0 31 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00– आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना– 00–		
	राज्य सैक्टर		
1	03–उत्तराखण्ड में जनजाति क्षेत्रों/ व्यक्तिगत उद्यानों का विकास		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहा0	978	978
	योग :–03	978	978
2	04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण		
	02– मजदूरी	267	267
	08–कार्यालय व्यय	3	3
	11–लेखन सामग्री और फार्मो का छपाई	3	3
	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18	18
	18–प्रकाशन	10	10
	25–लघु निर्माण कार्य	33	33
	26–मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	28	28
	29–अनुरक्षण	3	3
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	267	267
	42–अन्य व्यय	33	33
	योगः–	665	665
3–	06–मधुमक्खी पालन की योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहा0	56	56
	योगः–	56	56
4–	21–सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास		
	31–सामग्री सम्पूर्ति	183	183
	योगः–	183	183
	कुल योग राज्य सैक्टर	1882	1882
	जिला सैक्टर		
1–	14–फल /सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहा0	511	511
	योगः–14	511	511
2–	15–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन/पौधालय विकास		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहा0	249	249
	योगः–	249	249
	कुल योग जिला सैक्टर	760	760
	वृहद योग (जिला +राज्य सैक्टर)	2642	2642

(रूपये छब्बीस लाख बयालीस हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

9– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि जनजाति क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।

11– जिला सैक्टर में जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का जिलेवार आवंटन जनपदों मे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाय। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाय, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदानान्तर्गत अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–121(पी)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/2007, दिनांक–25/07/2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

संख्या–386/xvi/07/7(38)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।